

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1105 ]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2002/पौष 9, 1924

No. 1105 ]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2002/PAUSA 9, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2002

क्रा.आ. 1377(अ).—(भारत) के निर्यात व्यापार के लिए निर्यात से पूर्व कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और मानीटरी के अध्याधीन रहते हुए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग के आदेश संख्यांक 3259 तारीख 13.11.2001 द्वारा भारत के राजपत्र भाग- II, खंड - 3, उपखंड - (ii) तारीख 1.12.2001 में प्रकाशित किए गए थे ;

और ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख और जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 14.12.2001 को उपलब्ध करा दी गयी थी ;

और केन्द्रीय सरकार को कोई सुझाव या आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और यह आवश्यक है कि क्वालिटी के उच्चतम मानकों और अनुबद्ध स्वास्थ्य अपेक्षाओं को बनाए रखा जाए जो राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विहित मानकों को पूरा करेंगे;

और ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन के लिए स्वास्थ्य अपेक्षाएं अधिकथित की जानी चाहिए ;

और विशिष्टियां यह महत्वपूर्ण है कि स्थापन अनुमोदन प्राप्त कर नियम अधिकथित किए जाएं ;

और यह भी महत्वपूर्ण है कि ताजा कुक्कुट मांस तथा कुक्कुट मांस के उत्पादों से स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाएं पूरी होनी चाहिए ;

और संसाधक का यह प्रथम दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ताजा कुक्कुट मांस तथा कुक्कुट मांस उत्पाद इस आदेश में अधिकथित स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटर करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधक उपर्युक्त उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

और इन क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग को शासित करने वाले नियमों में अंतरराष्ट्रीय बाज़ार की मांग का ध्यान रखा जाना चाहिए ;

और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारकदायी पदार्थों के अवशिष्टों की विद्यमानता पता लगाने के लिए अचानक जांच की जानी चाहिए।

और आयात करने वाले देशों की अपेक्षाओं की प्रतिनिर्देश से उपर्युक्त अपेक्षाओं की समतुल्यता को सुनिश्चित करने के लिए मानीटरिंग करने की प्रक्रिया के लिए उपबंध किए जाने चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी को देश में क्वालिटी मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजनों के लिए नीचे विनिर्दिष्ट आदेश बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है;

2. अतः अब, केन्द्रीय सरकार की निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श के पश्चात् यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

(क) यह अधिसूचित करना कि ताजा कुक्कुट मांस तथा कुक्कुट मांस उत्पाद निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे,

(ख) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को ताजा कुक्कुट मांस तथा कुक्कुट मांस उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग के प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना, जो ऐसे ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों पर निर्यात से पूर्व लागू होगा ;

(ग) इस आदेश से संलग्न अनुसूची में वर्णित विनिर्देशों को ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पादों के मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना ;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में एकक द्वारा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि यह इसको लागू मानकों के अनुरूप न हो और इसके साथ यह प्रमाणपत्र लगा हो कि यह इकाई निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त है ;

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भू-मार्ग, जल मार्ग, वा वायु मार्ग द्वारा ताजा कुक्कुट मांस तथा कुक्कुट मांस उत्पादों के उन सद्भावी नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनका मूल्य समय-समय पर निर्यात-आयात नीति में अधिकथित अनुज्ञेय सीमा से अधिक नहीं हो जहां ऐसे उपबंध विद्यमान नहीं हैं वहां मुफ्त नमूनों का मूल्य 10,000 रुपए से अधिक नहीं होगा।

4. इस आदेश में ताजा कुक्कुट मांस तथा कुक्कुट मांस उत्पाद से कुक्कुट मांस अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऐसा मांस भी है जो वायु निर्यात में लपेटा गया है या नियंत्रित वातावरण में लपेटा गया है, जो द्रुत शीतन अथवा हिमीकरण प्रक्रिया से भिन्न परिरक्षण प्रक्रिया से नहीं गुजरा है और कुक्कुट मांस उत्पाद से कोई भी कुक्कुट मांस उत्पाद जिसे शुष्कन, परिष्करण, वाष्पीकरण, तलने, मौसमानुकरण वासक द्रव्य या किसी अन्य कुक्कुट मांस संसाधन प्रणाली से जो उपर्युक्त प्रणाली में से किसी से संबंधित है।

#### अनुसूची

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 के खंड (ग) के अनुसार मान्यताप्राप्त ताजा कुक्कुट मांस तथा कुक्कुट मांस उत्पाद की विशिष्टियां निम्नानुसार होंगी:

(क) आयात करने वाले देशों के राष्ट्रीय मानक या कोडेक्स ऐलीमेंटैरियस कमीशन द्वारा अधिकथित अंतरराष्ट्रीय मानक ।

#### अथवा

(ख) विदेशी क्रेताओं या निर्यातकर्ताओं के बीच करार पाई संविदात्मक विशिष्टियां वहीं उपबंधित की गई हैं, जो आयात करने वाले देश की स्वास्थ्य या अन्य अपेक्षाओं का समाधान करती हैं

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट मानकों के अभाव में समय-समय पर अधिसूचित और संशोधित राष्ट्रीय मानक विशिष्टियां ।

(घ) किसी ऐसे ताजा कुक्कुट मांस और कुक्कुट मांस उत्पाद की दशा में, जिसके लिए उपर्युक्त (क) (ख) और (ग) में कोई मानक उपलब्ध नहीं हैं तो इन उत्पादों के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी स्थायी समिति द्वारा बनाए गए मानक लागू होंगे ।

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, निर्यात विकास प्राधिकरण | अध्यक्ष |
| 2. | सलाहकार कृषि विपणन, भारत सरकार                                     | सदस्य   |
| 3. | निदेशक, पशु पालन, महाराष्ट्र सरकार                                 | सदस्य   |
| 4. | निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण) निर्यात निरीक्षण परिषद     | सदस्य   |
| 5. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि                   | सदस्य   |

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 6. | पशु पालन और डेयरी विभाग कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. | वैकटेश्वरा हेचरीज लि० का एक प्रतिनिधि                 | सदस्य |

[फ्त. सं. 6/2/98-इआई एण्ड ईपी]

एम. धि. पि. सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## ORDER

New Delhi, the 30th December, 2002

S.O. 1377(E).— Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting poultry meat and poultry meat products to quality control inspection and monitoring prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the official Gazette of India of Part II, section 3, sub-section (ii) on 1.12.2001 vide Order No.S.O.3259 dated 13.11.2001 of Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce;

And, whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days of the date of publication of the said order in the Official Gazette are made available to the public;

And, where as, the copies of said Gazette were made available to public on 14.12.2001;

And, where as, no suggestion or objection was received by the Central Government;

And whereas, it is necessary to maintain the highest quality standards and stipulate health requirements that would encompass the standards prescribed at National/International level;

And whereas, health requirements should be laid down for the production, storage and transport of fresh poultry meat and poultry meat products;

And whereas, in particular, it is important that rules be laid down governing the approval of establishments;

And whereas, it is important also that the health requirements to be met by fresh poultry meat and poultry meat products be laid down;

And whereas, it is the primarily responsibility of the processors to ensure that fresh poultry meat and poultry meat products meet the health requirements laid down in this order;

And whereas, the Competent Authority must by carrying out quality control inspection and monitoring, to ensure that processors comply with the above mentioned requirements;

And whereas, the rules governing these quality control, inspection and monitoring must take account of the demand of the international market;

And whereas, a random check must be made to detect the presence of residues of substances liable to be harmful to human health;

And whereas, provisions should, therefore, be made for procedure of monitoring to ensure the above conditions of equivalence with reference to the requirements of the importing countries;

And whereas, Central Government nominated Competent Authority to ensure the effective compliance of the quality standards in the country;

And whereas, the Central Government has formulated the order specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of the rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

2. Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by section 6 of Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, (22 of 1963), the Central Government after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necessary and expedient to do so, for development of the export trade of India hereby:

- (a) notifies that fresh poultry meat and poultry meat products shall be subjected to quality control and inspection prior to export;
- (b) specifies the type of quality control and inspection in accordance with Export of fresh poultry meat and poultry meat products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002 set out in the type of Quality Control, Inspection and Monitoring which shall be applicable to such fresh poultry meat and poultry meat products prior to export.
- (c) recognises the specifications as set out in Schedule appended to this order as the standard specifications for fresh poultry meat and poultry meat products;
- (d) prohibit the export of fresh poultry meat and poultry meat products by a unit in the course of international trade unless it conforms to the standards applicable to it and is accompanied by a certificate stating that such unit is approved and monitored by the Export Inspection Agency established or recognised under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

3. Nothing in this order shall apply to the export by land or sea or air of bonafide samples of fresh poultry meat and poultry meat products to prospective buyers, the value of which shall not exceed permissible limits as laid down in Exim Policy from time to time where no such provisions exist the value limit of free sample(s) shall not exceed Rs. 10, 000/-.

4. In this order, fresh poultry meat and poultry meat products means poultry meat, including meal which is vacuum-wrapped or wrapped in a controlled atmosphere, which has not undergone any preserving process other than chilling or freezing; and poultry meat products means any poultry meat products further processed by means of drying, curing, smoking, cooking, frying, seasoning, flavouring or by any other method of processing poultry meat akin to any of the above method.

## SCHEDULE

Specifications of fresh poultry meat and poultry meat products recognised as per Clause (c) of section 6 of the Export (Quality Control and Inspection), Act 1963 shall be:

(a) National Standards of the importing countries or International standards laid down by Codex Alimentarius Commission.

OR

(b) Contractual specifications agreed to between the foreign buyer and the exporters provided the same is satisfying the health and other requirements of the importing country:

(c) In the absence of standards referred to at (a) or (b) above, the National Standard Specifications as notified and amended from time to time.

(d) In case of any fresh poultry meat and poultry meat products for which no standard is available at (a), (b) and (c) above the standard formulated for these products by the Standing Committee of the following members shall be made applicable;

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Chairman, Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority,            | Chairman |
| 2. Agricultural Marketing Advisor to the Government of India                                   | Member   |
| 3. Director of Animal Husbandry, Government of Maharashtra                                     | Member   |
| 4. Director (Inspection & Quality Control),<br>Export Inspection Council                       | Member   |
| 5. One representative of Ministry of Food Processing Industries                                | Member   |
| 6. One representative of Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture. | Member   |
| 7. One representative of Venkateshwara Hatcheries Limited.                                     | Member   |

[F. No. 6/2/98-EI & EP]

M.V.P.C. SASTRY, Jt. Secy.